Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

रिछपालसिंह आदि बनाम ओंकारसिंह आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा 202 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.05.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता श्री धनपत राय गौड़ द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण मौजा रोही गारबदेसर के खसरा नम्बर 1233 तादादी 4.95 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 417 में तादादी 8.000हैक्टेयर भूमि में आगामी तारीख पेश तक उभय पक्ष विशिष्ट भू–भाग का बेचान न करे एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 11.07.2022 को पेश हो। उप 06/06/22 आज यह पत्रावली उभय पक्ष द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेश हुई। पत्रकारों की तरफ से अधिवक्ता श्री धनपतराय गौड़ द्वारा की गयी। जरिये प्रार्थना पत्र आपसी राजीनामा होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 पर निस्तारण हेतु निवेदन किया गया। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पर स्वीकार किया जाता है। विधि में सुधार होकर हक्क पाबता इफ्तियार हो। उप उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	कार्यालय रिछपालसिंह रिछपालसिंह Signature Not Verified Digitally signed by Ashok Ku Date: 2022.06.20 18:22:06 I Reason: SelfAttested